

स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276

ईमेल <dc@nsez.gov.in>: वेबसाइट: www.nsez.gov.in

फा० सं० 10/06/2022-SEZ/

दिनांक: 12/03/2025

(ई मेल के माध्यम से)

सेवा में,

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002.
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लॉट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर- 24, नोएडा।
5. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं 01, नॉलेज पार्क- 4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, कालिन्दी कुञ्ज, जी टी रोड, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता।

विषय: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 06/03/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 06/03/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
3. सम्बंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी।

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 06.03.2025 को सुबह 10:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)।
- ii. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा
- iii. सुश्री हेमलता हेडारू, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग (डीजीएफटी) कार्यालय सीएलए, नई दिल्ली।
- iv. श्री मयंक जैन, सहायक प्रबंधक, उद्योग विभाग, डीआईसी, नोएडा ।
- v. श्री शशि प्रभाकर, आयकर अधिकारी, नोएडा।
- vi. श्री नीरज जौहर, जीएनआईडीए।

• इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) श्री नोमान हाफिज, उप विकास आयुक्त (iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, एडीसी और (iv) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी/डीलिंग हैंड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

• प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

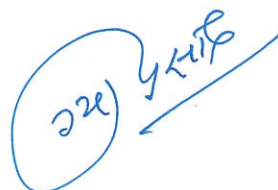
मद संख्या 1. दिनांक 06.02.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि 06.02.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 06.02.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2. सामग्री की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव:

2.1: मेसर्स विप्रो लिमिटेड, विकासक

2.1: मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, विकासक

(22) 

2.1.1 मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री बिचित्र दास एवं विकासक श्री राजेश रुनवाल, सहायक प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट संख्या ए-01 से ए-06, सेक्टर-85, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत परिचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:-

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	स्ट्रीट लाइटिंग, संकेत और साइनेज युक्त सड़कें।	1	47.53
2.	अंतर संयोजकता के साथ कॉमन डाटा सेंटर	13	512.73
3.	प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	268.79
	कुल		829.05

2.1.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित / निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मद संख्या 3: सुविधा प्रदाताओं को स्थान आबंटन का प्रस्ताव:-

3.1. मेसर्स टेलीपरफॉर्मस ग्लोबल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड।

3.1.1 मेसर्स टेलीपरफॉर्मस ग्लोबल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री संतोष गायकवाड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स टेलीपरफॉर्मस ग्लोबल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में स्थित अपनी इकाई के परिसर में, टॉवर 9 की चौथी मंजिल पर 1531 वर्ग फीट का कैफेटेरिया स्थापित करने का प्रस्ताव था। इसके कर्मचारियों के विशेष उपयोग के लिए नोएडा (यूपी) के सेक्टर-135 में प्लॉट नंबर 20 और 21 पर आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)। यह वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा जारी निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 और उसके बाद दिनांक 03.10.2023 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार है।

22/9/2023

3.1.3 यह अनुमोदन वैधानिक अनुपालन के अधीन है तथा इस शर्त के अधीन है कि न तो इकाई और न ही उसके विक्रेता, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम/विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र होंगे, सिवाय इकाई द्वारा विकासक को भुगतान किए गए पट्टे/अन्य शुल्कों पर शून्य रेटिंग के लाभ के। इकाई को प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)/मंजूरी/अनुमोदन जैसे कि अग्नि, स्वास्थ्य आदि प्राप्त करना होगा, यदि लागू हो, जैसा कि निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत आवश्यक है। अनुमोदन समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी को यह सत्यापित करने और सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि इकाई के परिसर में उपरोक्त सुविधाओं में वैधानिक अनुपालन पूरा किया जा रहा है।

3.2 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक

3.2.1 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री बी डी जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद नोएडा (यूपी) के सेक्टर-14 के प्लॉट नंबर 8 में आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में काउंटर नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर कैफेटेरिया, बिल्डिंग नंबर बी-1 में 200 वर्ग फीट का सुपर बिल्ट अप एरिया आवंटित करने के प्रस्ताव को **मंजूरी दे दी**। यह जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 11 (5) के अनुसार "चाय और नाश्ता स्टॉल" संचालित करने के लिए **मेसर्स के एंड एम फूड्स** को पट्टा के आधार पर दी जाएगी। यह मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि **मेसर्स के एंड एम फूड्स** को "चाय और नाश्ता स्टॉल" संचालित करने के लिए कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। **मेसर्स के एंड एम फूड्स** विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) परिसर में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक एनओसी/मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस सुविधा का उपयोग केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और वहां स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

मद संख्या 4: सुविधा प्रदाताओं को स्थान का आवंटन रद्द करने का प्रस्ताव

4.1.1 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री बी.डी. जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद अनुमति पत्र संख्या 10/212/2008-SEZ/10627 दिनांक 21.11.2024 को रद्द करने के प्रस्ताव को **मंजूरी दे दी**। यह अनुमति मेसर्स टीसीवी कॉफी वॉल्ट बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड को प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा में मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में "कॉफी स्टॉल" स्थापित करने और संचालित करने के लिए काउंटर नंबर 7, ग्राउंड

फ्लोर कैफेटेरिया, बिल्डिंग नंबर बी 1 में 200 वर्ग फीट सुपर बिल्ट अप एरिया आवंटित करने के लिए दी गई थी।

मद संख्या 5: इकाई के उत्पादन प्रारंभ की तिथि का मामला- संबंधी

5.1.1 मेसर्स डांसेंटर ए/एस के प्रतिनिधि श्री अंकुर गुप्ता और श्री शुभम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री गुप्ता ने बताया कि कंपनी के स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने उत्पादन शुरू करने की तिथि 30.10.2023 से लेने पर जोर दिया है।

5.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को फाइल पर मामले में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। इकाई के प्रतिनिधि को 30.10.2023 से ग्राहक को सेवाओं की आपूर्ति का प्रमाण प्रदान करने और सॉफ्टवेक्स भरने में देरी के लिए माफी भी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई का लेखा परीक्षक भी लिखित रूप में अपना संस्करण प्रस्तुत करेगा।

मद संख्या 6: एलओए में अतिरिक्त मदों को शामिल करने का प्रस्ताव-संबंधी

6.1 मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स

6.1.1 मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के प्रबंधक श्री ए.के. सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के दिनांक 28.12.2018 के एलओए में निम्नलिखित वस्तुओं/एचएस कोडों को शामिल करने की मंजूरी दी, बशर्ते कि एचएस8 अंकों का कोड प्रस्तुत किया जाए।

क्र. सं.	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण
i.	3901	एथिलीन के बहुलक, प्राथमिक रूपों में
ii.	4015	सभी प्रयोजनों के लिए, कठोर रबर के अलावा वल्केनाइज्ड रबर से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं (दस्ताने, मिट्टेंस और मिट्स सहित)।

6.1.3 यह अनुमोदन निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन है:-

- ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए 'निषिद्ध/प्रतिबंधित' हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।

- ii. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार सख्ती से होगा।
- iii. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधान के अनुसार सभी लेन-देन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- iv. समय-समय पर जारी वाणिज्य विभाग (डीजीएफटी) अधिसूचनाओं/सार्वजनिक नोटिस/निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. इकाई को आयात/निर्यात के लिए संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और वाणिज्य विभाग (डीजीएफटी) की आयात नीति सहित संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक 'एनओसी' प्राप्त करनी होगी।
- vi. अनुमोदन समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद विशिष्ट और असाधारण मामलों को छोड़कर एक मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) से दूसरे मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) में माल के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- vii. इकाई को मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) और वेयरहाउसिंग इकाइयों के परिचालन ढांचे के लिए निर्देश संख्या 117 दिनांक 24.09.2024 के तहत जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

6.2 मेसर्स अवत लॉजिस्टिक्स

6.2.1 मेसर्स अवत लॉजिस्टिक्स के प्रोपराइटर श्री हरविंदर सिंह पनेसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद समिति ने पाया कि निर्देश 117 के आलोक में इन उत्पादों के साथ कुछ संवेदनशीलताएँ जुड़ी हुई हैं। प्राथमिक चिंताएँ आयात और डायवर्सन की संभावनाएँ थीं और साथ ही पुराने और इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और कचरे की पहचान और मूल्यांकन भी। इसलिए समिति इन उत्पादों को शामिल करने पर सहमत नहीं हुई।

मद संख्या 7: FTWZ से FTWZ स्थानांतरण की अनुमति के लिए प्रस्ताव।

7.1.1 मेसर्स अवत लॉजिस्टिक्स ने दिनांक 28.02.2025 के पत्र के माध्यम से अपने ग्राहक मेसर्स पीपल प्रेजेंटेशन के माल को FTWZ से FTWZ में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। ये माल रेडिंगटन लिमिटेड नंबर 79, किलमुदालम्बु, पनपक्कम गांव सी/ओ प्रो कनेक्ट सप्लाय चैन सॉल्यूशंस लिमिटेड तिरुवल्लूर, चेन्नई-601206, तमिलनाडु) से संलग्न प्रोफार्मा चालान के तहत खरीदा गया था। उन्होंने आगे बताया कि माल वर्तमान में FTWZ इकाई- शंकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे माता डी फ्री ट्रेड जोन, इकाई संख्या 27-28, मन्नूर वलारपुरम गांव पेरम्बक्कम रोड श्रीपेरंबदूर, कांचीपुरम-602105, तमिलनाडु में संग्रहीत है। वे इन्हें अपनी FTWZ इकाई-अवत लॉजिस्टिक्स, ANFTWZ लिमिटेड,

22/9/24

ग्राम इब्राहिमपुर, जौड़पुर उर्फ मौजपुर, तहसील- खुर्जा, जिला बुलंदशहर, खुर्जा-203131 में स्थानांतरित करने के लिए प्राधिकरण का अनुरोध करते हैं। इन वस्तुओं को बाद में संलग्न खरीद आदेशों के अनुसार EXL Service.Com (I) Pvt Ltd (SEZ नोएडा) और Inductis (India) Pvt Ltd (SEZ गुडगांव) को आपूर्ति की जाएगी।

7.1.2 वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा जारी निर्देश संख्या 117 की शर्त संख्या vi के अनुसार।

vi. अनुमोदन समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद विशिष्ट और असाधारण मामलों को छोड़कर एक मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) से दूसरे मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) में माल के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

7.1.3 मेसर्स अवत लॉजिस्टिक्स के प्रोपराइटर श्री हरविंदर सिंह पनेसर और मेसर्स पीपल प्रेजेंटेशन के निदेशक श्री राजेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया।

7.1.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, ध्यान दिया कि ऐसी कोई विशिष्ट और असाधारण परिस्थितियाँ नहीं थीं, जिनके लिए एक मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) से दूसरे मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) में माल का हस्तांतरण आवश्यक हो। इसलिए प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी।

अनुपूरक मद संख्या 1: अनुमानों में संशोधन का प्रस्ताव

1. मेसर्स विप्रो लिमिटेड (यूनिट-2)

1.1 मेसर्स विप्रो लिमिटेड (यूनिट-2) के प्रबंधक श्री राजकुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं और स्वदेशी इनपुट सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुमोदित किया:

(रुपए लाख में)

विवरण (पाँच वर्ष के लिए)	मौजूदा स्वीकृत अनुमान	संशोधित अनुमान
अनुमानित निर्यात	120676.00	120676.00
विदेशी मुद्रा व्यय	915.00	1865.00
एनएफई आय	119761.00	118811.00
आयातित पूंजीगत सामान	560.00	1865.00
स्वदेशी पूंजीगत सामान	1080.00	5580.00
आयातित इनपुट सेवाएँ	500.00	1000.00

22/6/22

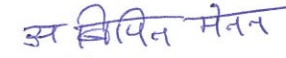
1.3 इसके अलावा यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई क्रम संख्या और सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के विवरण के अनुसार 1000.00 लाख रुपये की राशि की स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची प्रस्तुत करेगी।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(गया प्रसाद)

उप विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त